

16-12-17

अभिलेख उपस्थापित ।

उभय पक्ष उपस्थित होकर अपने अधिकारों के माध्यम से उपस्थिति दाखिल किये हैं / एवं उभय पक्ष न्यायालय के समक्ष पुलहनमा चोटने हैं । उभय पक्ष से पुलहनमा कागज पर सुशी-राजी से हस्ताक्षर किये हैं ।

अतः वद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।


अनुमण्डल सहायिका
अमिया (गुमला)